actionaid
www.actionaid.org/india/hindi
PEOPLE
FIRST
राष्ट्रीय रणनीति प्रपत्र | 2011 - 2016

एक्शनएड इंडिया वैश्विक महासंघ का हिस्सा है और एक्शनएड इंटरनेशनल से पूरी तरह सम्बद्ध है. एक्शनएड इंटरनेशनल दुनिया के 40 से अधिक देशों में कार्यरत है. 1972 में अपनी शुरुआत से ही भारत में, गरीब और वंचित लोग हमेशा से हमारे विमर्श और कार्यों के केंद्र में रहे हैं. 2006 में हम एक्शनएड एसोसिएशन नाम से एक भारतीय संगठन के रूप में पंजीकृत हुए हैं. हम एक स्वतन्त्र महासभा और गवर्निंग बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं.

एक्शनएड इंडिया भारत के 24 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में काम करता है. हम विभिन्न जमीनी संगठनों, समुदाय आधारित समूहों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बहुत दुर्गम क्षेत्रों में गरीबों और वंचितों के साथ काम करते हैं.

यह राष्ट्रीय रणनीतिक प्रपत्र 2011-16 की समयावधि के लिए है. 2017 में हमारी नई रणनीति तैयार की जायेगी.

© एक्शनएड एसोसियेशन
सर्वाधिकार सुरक्षित. इस पब्लिकेशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की बिना अनुमति के पुनर्प्रकाशित या किसी अन्य तरीके जैसे फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोनिक माध्यम आदि से प्रसारित नहीं किया जा सकता.

प्राक्कथन 3

भारतः एक नजर में 4

हमारा दृष्टिकोण 8

हमारा मिशन 8

उद्देश्य 8

हमारे मूल्य 8

हमारी पहचान 8

सामाजिक बदलाव का मूल विचार 8

रणनीतिक प्राथमिकताएं 9

- जल, जंगल, जमीन, खनिज और आजीविका जैसे संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण 10
- समाज, अर्थ, और राजनैतिक व्यवस्था का सभी स्तरों पर लोकतांत्रिकरण 12
- महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की मानव अधिकारों की तरह सुनिश्चितता 14
- बच्चों को राजनैतिक तौर पर और बराबरी के नागरिक मानना 16
- एक पूरी तरह बराबर, धर्मनिरपेक्ष, हिंसामुक्त और शांतिपूर्ण समाज और राज्य 18
- स्थानीय और राष्ट्रीय सीमाओं से परे संघर्ष एवं प्रगतिशील कार्यों का समर्थन 20

हमारी कार्य पद्धति 22

- समुदाय आधारित समूहों, सामाजिक आन्दोलनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ भागीदारी 22
- फैलोशिप व कैडर निर्माण 22
- राज्य के साथ रणनीतिक सहयोग 22
- राजनैतिक दल एवं ट्रेड यूनियन 22
- युवा और युवा संगठनों के साथ मिलकर काम 22
- मीडिया व संचार 22
- ज्ञान आधारित भागीदारी का निर्माण 22
- वैश्विक दक्षिण-दक्षिण-उत्तर भागीदारी 22
- प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से प्रभावित लोगों की मानवीय सहायता 22

संगठनात्मक लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं 24

- विभिन्न इकाइयों के बीच तालमेल स्थापित करना 24
- कार्यक्रमों, नीतियों और अभियानों के प्रभाव, गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाना 24
- क्षमता वृद्धि 24
- नारीवादी विचारों को बढ़ावा 25
- हमारे संसाधनों के आधार को मजबूत और एकीकृत करना 25
- निधियों का न्यायिक तरीके से उपयोग 26
- सगठन के लक्ष्य और मिशन को प्राप्त करने के लिए ढांचे में एकरूपता और तालमेल स्थापित करना 26
- प्रशासन का मजबूतीकरण 26

निष्कर्ष 27

भारत में क्षेत्रीय कार्यालय 28

फोटो साभार

मुखपृष्ठ: श्रीकांत कोलारी@एक्शनएड
पेज 10: नीलायन दत्ता/टॉम पिट्रेसिक /फिरोज अहमद फिरोज@एक्शनएड
पेज 11: काजू@एक्शनएड
पेज 12: फिरोज अहमद फिरोज/नीलायन दत्ता /संजीत दास@एक्शनएड
पेज 13: डेविड ओर@एक्शनएड
पेज 14: अतुल लोक@एक्शनएड
पेज 15: पार्थ प्रतीम राय@एक्शनएड
पेज 16: सौमी दास@एक्शनएड
पेज 17: सौमी दास@एक्शनएड
पेज 18: चिंतन गोहिल@एक्शनएड
पेज 19: प्रशांत विश्वनाथन@एक्शनएड
पेज 20: सिल्वा फेरेती /ललित डबराल /संजीत दास@एक्शनएड
पेज 21: फ्लोरियन लांग@एक्शनएड
पेज 23: डेविड ओर@एक्शनएड
बैक कवर: संजीत दास @एक्शनएड

एक्शनएड इंडिया वैश्विक महासंघ का हिस्सा है और एक्शनएड इंटरनेशनल से पूरी तरह संबद्ध है जिसकी उपस्थिति एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप तथा एशिया पैसिफिक के 40 से भी ज्यादा देशों में है. इसका मुख्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में है.

1972 में हमारी स्थापना से ही, भारत में गरीब और वंचित लोग हमारे विमर्श और कार्यों के केंद्र में रहे हैं. वर्ष 2006 में, एक्शनएड एसोसिएशन के नाम से हमारा पंजीयन एक भारतीय संस्था के रूप में हुआ. एक स्वतंत्र महासभा और एक शासी बोर्ड द्वारा हमारा संचालन किया जाता है.

इन चार दशकों में, हमने पूरे देश में दलित, आदिवासियों, मुस्लिमों, शहरी गरीबों, अति पिछड़ी जातियों, एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों, मछुआरों, आपदा से प्रभावित लोगों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों के बीच गहनता के साथ काम किया है. दृष्टिकोण के लिहाज से, हम 'सेवा आधारित' संस्था से विकसित होकर 'अधिकार आधारित' संस्था में तब्दील हो गए हैं जो कि लोकतंत्र, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण की सर्वोच्च शक्तियों को चुनौती देने की मांग करती है.

पिछले 15 वर्षों से तीन राष्ट्रीय रणनीति प्रपत्रों (CSP) ने हमें निर्देशित किया है, इनमें से हरेक प्रपत्र ने बारी-बारी से पांच वर्षों की अवधि तक हमारी गतिविधियों के संबंध में हमें निर्देशित किया है. इन प्रपत्रों ने हमारे सहयोगियों, वंचित समुदायों, रणनीतियों, ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्रों, योजनाओं, कार्यों तथा संगठनात्मक संरचना के सही चुनाव हेतु नेटवर्क तथा अनुभवों के इस्तेमाल हेतु हमें निर्देशित किया है. दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय रणनीति प्रपत्र "टेकिंग साइड्स" और "राइट्स फर्स्ट" ने गरीबों और वंचितों के पक्ष मे खड़े होने के हमारे मूल्यों को और भी मजबूत किया. साथ ही भेदभाव, अलगाव और अन्याय को चुनौती देते हुए उन्हें गरिमा के साथ जिन्दगी जीने के अधिकार की ओर मार्गदर्शित भी किया.

आज भारत में, जब हम इस नये राष्ट्रीय रणनीतिक प्रपत्र पर काम कर रहे हैं, हमें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और पहचान आधारित भेदभाव और नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच एक गठजोड़ साफ़ देखने को मिलता है, जिसके चलते गरीबी, पितृसत्ता और भेदभाव को बढ़ते हुए देखा जा सकता है.

राज्य के संवैधानिक कल्याण तथा विकास की जिम्मेदारियों के संदर्भ में भी आमूलचूल बदलाव की जरूरत है. इसके लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं को इस तरह बनाना और लागू करना चाहिए जिसका फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे. मनरेगा, सूचना का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम और भोजन का अधिकार अथवा खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसे कानूनों के साथ-साथ गरीबी खत्म करने के लंबी अवधि के कार्यक्रमों को भी साझा प्रयासों से शुरू करना चाहिए. यह बात यूपीए-1 के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मूल घोषणापत्र में थी और इसे अमल में लाना भारतीय संविधान की मूल भावना का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होगा.

पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे हस्तक्षेपों की समीक्षा हमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण को और व्यापक करते हुए लोगों को उनके हक दिलाने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए सचेत होने और उसे हासिल करने की ताकत प्रदान करने को कहती है. इस समीक्षा ने पितृसत्ता, जाति आधारित अन्याय, जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के बारे में हमारी समझ को और भी विकसित किया है. इसलिए इस चौथे राष्ट्रीय रणनीतिक प्रपत्र का लक्ष्य सामाजिक एवं पारिस्थितिक जन्य अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से लोगों को अलग-थलग करने वाले कारकों के बारे में हमारी समझ को विकसित करना है. इसके अलवा इस प्रपत्र का लक्ष्य इन कारकों के संबंध में जनता की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें एकजुट करने की प्रक्रिया के संबंध में हमारी समझ को और गहराई प्रदान करना भी है.

इस दस्तावेज में निहित मिशन जनआंदोलनों, समुदायों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समुदाय आधारित संगठनों, शिक्षाविदों तथा एक्शनएड की टीम के सदस्यों के साथ चली एक लंबी प्रक्रिया- जिसमें उनके साथ बातचीत, कार्यशाला, समीक्षा आदि भी शामिल है- का ठोस परिणाम है. यह सामाजिक परिवर्तन की हमारी सोच और एक्शनएड संस्था के रूप में परिवर्तनों को समझने, इसमें शामिल होने तथा इसमें योगदान देने के हमारे संकल्प की प्रतिबद्धता का साझा नजरिया भी है.

"जब जुल्मों सितम के कोहे-गरां, रूई की तरह उड़ जायेंगे
हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अहले हुक्म के सर ऊपर, ये बिजली गढ़-गढ़ गढ़केगी
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे
-फैज अहमद फैज"

सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के स्तंभों पर टिका भारत का संविधान लंबे अरसे से भारत की कई सामाजिक बदलाव की नीतियों का प्रेरणास्रोत रहा है.

भेदभाव तथा अन्याय के खिलाफ बहस छेड़ने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जनवादी संघर्षों ने संविधान से प्रेरणा ली है. लेकिन वर्तमान परिवेश में भूमि संघर्ष, विस्थापन और समाज के सिकुड़ते बहुलतावादी रूप की वजह से भारत के संविधान के यह सुधारवादी मूल्य खतरे में हैं. उदारीकरण की प्रक्रिया ने भी इन संवैधानिक मूल्यों पर प्रतिकूल असर डाला है. इन कारकों की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देश में सामाजिक तथा आर्थिक बराबरी स्थापित करने का सपना साफ तौर पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है.

आज जिस विचारधारा को पोषित किया जा रहा है, उसके चलते देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 50वें (1993-1994) तथा 55वें (1999-2000) दौर के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से साफ़ है कि भारत के शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में ये असमानता बढ़ी है. देश के अधिकतर हिस्सों में बेरोजगारी भी बढ़ी है. दलितों, महिलाओं तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, कृषि निर्यात क्षेत्रों, तटीय कॉरिडोर, बड़े बांधों, रियल एस्टेट तथा हवाईअड्डों के लिए किए गए भूमि अधिग्रहणों की वजह से किसानों, स्थानीय निवासियों, दलितों, छोटे उत्पादकों तथा मछुआरों सहित अन्य लोगों को उनकी जमीन तथा आजीविका के स्रोतों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है. इसकी वजह से अधिग्रहण वाले इलाकों से बड़ी तादाद में लोग पलायन पर विवश हुए हैं और इन क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के यौन शोषण और तस्करी की आशंकाएं भी पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं. पारिस्थितिकी असंतुलन की ऊंची कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है. इसके अलावा इन संसाधनों को कौड़ियों के भाव पर बेचा जा रहा है. इसी तरह शहरों में विकास के नाम पर गरीबों से उनके घर जबरन खाली करवाए जा रहे हैं.

यह एक विरोधाभास है कि देश का पेट भरने वाले और देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने वाले कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र घोर संकट में हैं. कृषि योग्य जमीन को कृषि से इतर कार्यों में इस्तेमाल के लिए बदला जा रहा है. इस प्रक्रिया की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की जीविका का आधार छिनता जा रहा है. इसके अलावा इसकी वजह से देश की खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता पर भी खतरा मंडराने लगा है. सार्वजनिक निवेश की घोर उपेक्षा की वजह से ही वर्ष 2011-12 में कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों की विकास दर 2.5 प्रतिशत रही. हालांकि इस अवधि में सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) का 6-9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान था. छोटे और सीमान्त किसानों पर तो इसका और भी प्रतिकूल असर पड़ा है. 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं. इनमें से भी अधिकांश किसानों का ताल्लुक दलित तथा आदिवासी समुदाय से है. इन दोनों समुदायों की लागत तथा उत्पाद, दोनों प्रकार के बाजारों तक पहुंच सीमित है. इसके चलते ये छोटे किसान जहां एक ओर अपनी जमीन खोने को मजबूर हुए, वहीं भूमिहीन मजदूर को अपनी रोजी-रोटी का जरिया खोना पड़ा. यह भी विरोधाभास है कि छोटे किसान जो कि भारत में 50 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करते है, उन्हें स्वयं भूख और गरीबी में जीना पड़ता है. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1995-2011 के बीच 2,70,940 किसानों ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने वाला हर पांचवां किसान एक महिला थी. जनजातीय समुदाय, जो कि जंगलों के साथ सद्भाव पूर्वक जीवनयापन करते रहे, सदियों से उनकी रखवाली और पोषण करते रहे, उन्हें भी पूंजीवादी विकास की आड़ में जबरन उन जंगलों से बेदखल किया जा रहा है. मछुआरों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन करते हुए और उनकी आजीविका को संकट में डालते हुए तटीय भूमि का भी विभिन्न 'विकास कार्यों' के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है. इसकी वजह से किसानों और मछुआरों से संबंधित रोजगार के अवसरों में तेज गिरावट आई है. जब-जब समुदायों के अधिकार छीने गए हैं और पुरुषों ने काम की तलाश में पलायन किया है, तब-तब कृषि संकट की महामारी ने देश के हर कोने में अनकही दुखद दास्ताओं की पटकथा लिखी है.

एक्शनएड का मानना है कि कृषि संकट का मुद्दा महज कृषि के क्षेत्र तक सीमित नहीं है. कृषि संकट के लिए भूमि सुधार और कृषि से संबंधित नीतियां भी जिम्मेदार रही हैं. इस कथन का उल्लेख करते हुए कि "भूमि सुधार अब अंतिम छोर तक पहुंच चुके हैं" (योजना आयोग 1989:51) यह कहना जरूरी है कि जमीन के बड़े हिस्सों को किसानों से निजी उद्योगपतियों और रियल एस्टेट मालिकों को वापस हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भारत की मौजूदा भूमि सुधार प्रक्रिया के मूल में है. इसलिए, नीतिगत सुधारों का लक्ष्य सामाजिक न्याय की तरफ कदम बढ़ाते हुए खाद्य संप्रभुता के साथ भोजन और जमीन के अधिकार के मौलिक सिद्धांत को प्राप्त करना होना चाहिए. प्रत्येक राष्ट्र और उसके नागरिकों को अपनी खाद्य और कृषि नीतियां परिभाषित करने का अधिकार होना चाहिए. इसी तरह देश के आदिवासियों का अपने इलाके के जंगलों पर, मछुआरों का परम्परागत मत्स्य क्षेत्रों पर और किसानों को सतत तथा पर्यावरण के अनुकूल खेती करने का अधिकार होना ही चाहिए.

दरअसल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लागू की गई ग्रामीण इलाकों के औद्योगीकरण की परियोजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पायी है. यह परियोजना किसानों को खेतों में दिहाड़ी करने के अलावा आजीविका का कोई अन्य विकल्प प्रदान करने में विफल रही है. यहां तक कि कृषि क्षेत्र को सहयोग

प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए संबद्ध उद्योग भी नीति निर्माताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. भारत में आधुनिक आर्थिक गतिविधियों की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना बड़े नगरों में या उनके समीप की गई थी. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच पनपी विकास की यह खाई इसी भूल की उपज है.

इसके विपरीत, मौजूदा नीतियां सब्सिडी और बड़े निजी घरानों द्वारा औद्योगीकरण के पूर्ण अधिग्रहण को बढ़ावा दे रही हैं. स्थानीय स्तर पर सामूहिक शुरूआत की कमी और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सरकारी समर्थन नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण इलाकों में सुधार की गुंजाइश कम हो गई है. इसके अलावा यह नीतियां किसानों से भूमि अधिग्रहण करके इसे निजी कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही हैं. इस प्रक्रिया को रोकना, उलटना और बदलना जरूरी है. हमारी नीतियां निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत में ऐसे लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, जिनका स्वामित्व स्वयं ग्रामीण समुदायों के हाथ में हो. तभी भारत के 'खेती से बेदखल हो चुके' लाखों मजदूरों को आजीविका का वास्तविक विकल्प मिल सकेगा.

समाज की जातिगत व्यवस्था में दलित सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं. दलित समुदाय ऐतिहासिक रूप से ना सिर्फ संसाधनों से वंचित रहा है, बल्कि उन्हें अपने हिस्से का वास्तविक सम्मान और पहचान भी नहीं मिल पायी है. हमारा प्रगतिशील संविधान और हमारे कानून, वंचित समुदायों- आदिवासियों एवं दलितों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं. लेकिन फिर भी दलितों के साथ भेदभाव तथा अत्याचार अपने चरम पर है और आदिवासियों की उपेक्षा भी जारी है. दलित महिलाएं अपने कार्यस्थल पर मेहनत-मजदूरी करने के अलावा अपने 'पेशे' में शामिल काम की तरह यौन प्रताड़ना का अतिरिक्त बोझ भी वहन करती हैं.

एक आदर्श समूह की महिलाओं की पहचान केवल जैविक खूबियों से ही नहीं होती बल्कि साझा उत्पीड़न के माध्यम से भी होती है. मनुष्य की पहचान के जटिल स्वरूपों- जाति, वर्ग, नस्ल, संस्कृति, धर्म, स्थान आदि का सीधा संबंध उसके द्वारा वहन किए जाने वाले उत्पीड़न के स्तर से होता है. नव उदारवादी आर्थिक सुधारों को अपनाने की वजह से ही आज भारत में पितृसत्ता और मजबूत होती दिख रही है.

वैसे तो मानव विकास संकेतक महिलाओं की 'असल' स्थिति का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रासंगिक तथ्य यह है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर निर्धारित करने वाले अन्य संकेतकों के मुताबिक महिलाओं की स्थिति बेहद बुरी है. देश में बिगड़ रहे लिंगानुपात को भी जीवन के अधिकार के लिए एक प्रत्यक्ष खतरा माना जाना चाहिए. लिंगानुपात में आयी यह कमी वर्ष 2011 की जनगणना में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हुई है. जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष की उम्र) 927 से घट कर 914 हो गया है.

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की एक बड़ी तादाद मजदूरों के लिंग आधारित विभाजन, ऋण प्राप्त करने में भेदभाव, असुरक्षा की भावना तथा शोषण जैसी अत्यंत भेदभाव वाली स्थितियों से जूझ रही है. तमाम कानूनी प्रयासों तथा वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद आज भी महिलाएं अपने कार्यस्थलों पर नियमित तौर पर यौन शोषण का सामना कर रही हैं. संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों तथा महिला आरक्षण विधेयक के बावजूद महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी का अधिकार देने में रोड़े अटकाए जाते हैं. महिला सशक्तिकरण के कार्यों में जानबूझ कर बाधाएं खड़ी की जाती हैं. भारत में महिलाओं को कार्यस्थल और सार्वजनिक तथा निजी जीवन में पेश आने वाले भेदभावों से लेकर संरचनात्मक हिंसा के अनुभवों तक के बारे में चुप्पी साधने की हिदायत दी जाती रही है. दरअसल ये पारंपरिक चलन और सांस्कृतिक वर्चस्व उन्हें इस तरह की हिंसा को स्वीकार करना, सहन करना और यहां तक कि इसे युक्तिसंगत बनाना भी सिखाता है. परिवार को शांति एवं सुकून का अभयारण्य माना जाता रहा है. लेकिन घरेलू हिंसा ने इस मिथक के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. इन चुनौतियों ने घर की शांत छवि तथा रिश्तेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के फायदों को धूमिल कर दिया है. वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा के खिलाफ नारीवादी आंदोलन के बाद बने प्रगतिशील कानून को अपर्याप्त तरीके से लागू किया जाना साफ तौर पर समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति को दर्शाता है.

देश के दूर-दराज के इलाकों से वंचित समुदायों के लोग बड़ी तादाद में शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं. ये लोग रोजगार की तलाश में शहर आते हैं और बतौर नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह कर गुजर-बसर करते हैं. इस बढ़ते पलायन की वजह से शहरी गरीबों की तादाद में तेजी से वृद्धि हो रही है. शहरीकरण को आदर्श मानने की वजह से लोग गांव छोड़ कर आते हैं. शहरों में वे या तो बेघर होते हैं या किसी तरह झुग्गियों में रहते हैं. अपने मूल ग्रामीण इलाकों में पहले से ही अधिकारों से वंचित इन लोगों को शहरों में भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता. इनमें से कुछ लोग अपना खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय चलाते हैं या फुटपाथी विक्रेता के तौर पर किसी तरह आजीविका कमाते हैं. लेकिन उन्हें भी लघु एवं मध्यम व्यापार की कीमत पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की वजह से बेदखली के खतरों का सामना करना पड़ता है. शहरी आबादी के यूं तेजी से बढ़ने, शहरी गरीबों के बहिष्कार के चलन और शहर के रिक्त स्थानों का विषम वितरण (आर्थिक से रूप से कमजोर तबके तथा कम आय वर्ग वाले लोगों के आवास में 98 प्रतिशत की कमी) ने आवास के अधिकार और शहरी रिक्त स्थानों के लिए ठोस एजेंडा बनाकर उसे लागू करने की आवश्यकता को बल प्रदान किया है.

भारतीय संविधान ने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. भारत सरकार भी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाने के लिए प्रयासरत है. आज भारत में बच्चों, खासकर गरीब तथा वंचित समुदायों के

बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूलों का सबसे बड़ा नेटवर्क, मध्याह्न भोजन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा टीकाकरण एवं पोषाहार कार्यक्रम मौजूद है. फिर भी भारत में बच्चों की स्थिति कई तरह की चिंताएं पैदा करती है. भारत में कुपोषित बच्चों का अनुपात सबसे ज्यादा है. जन्म के समय कम वजन के बच्चों के 35% मामले यहीं सामने आते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा नवजात बच्चों की मौत यहीं होती है. यहां शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 के मुकाबले 57 है. अगर इन आंकड़ों की और ज्यादा व्याख्या की जाए, तो यह पता चलता है कि यहां बच्चों की स्थिति अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र से भी ज्यादा बुरी है. दूसरे देशों की तुलना में भारत में किसी गरीब परिवार में जन्मी बच्ची की पांच वर्ष से कम की उम्र में मौत की संभावना दोगुनी होती है. इसके अलावा यहां की बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली गरीब तथा वंचित समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव करती है. यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का भी उल्लंघन है. इस बात को बखूबी जानते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी नीतियां प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं, राज्य को चाहिए कि वह इन क्षेत्रों में एक रचनात्मक तथा दूरदर्शी भूमिका निभाए.

यदि शासन के स्तर पर देखें तो , संविधान और उसके संशोधनों तथा पेसा और छठी अनुसूची निकाय सम्बन्धी प्रावधानों के बावजूद, सत्ता के अनुचित उपयोग ने, जमीनी लोकतंत्र को असमर्थ और अक्षम बना दिया है. निर्वाचित प्रतिनिधियों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, जन-भागीदारी और यहां तक कि पूरे लोकतंत्र को ताक पर रखकर प्रशासनिक फैसलों की प्रक्रिया को सही साबित करने और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए तगड़ी और अक्सर असंवैधानिक चालें चली जा रही हैं. पहले से ही मौजूद सामाजिक तौर पर निर्मित सत्ता की उस संरचना ने स्थानीय शासन निकायों की स्वायत्तता का पहले ही हरण कर लिया है. अब तथाकथित सुधारों के नाम पर इस संरचना को और अधिक मजबूती प्रदान की जा रही है.

बेहद प्रभावशाली बड़ी कंपनियों के नीहित हितों की वजह से प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में बसने वाले मूलवासी जनजातीय लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है. निजी लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों की लूट और इन संसाधनों को संरक्षण देने में मूलवासियों के योगदान की घोर उपेक्षा ने यह मौलिक सवाल खड़ा कर दिया है- आखिर इन संसाधनों का मालिक कौन है और किस हद तक मानवीय तथा पारिस्थितिकीय कीमत पर इनका दोहन किया जाएगा?

भारतीय लोकतंत्र, जो किसी भी धर्म या संप्रदाय को चुनने, उसे मानने की आजादी देता है, उस पर भी कुछ खास राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए वीभत्स हमलों ने, गहरे दाग छोड़े हैं. सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित भेदभाव के चलते मुस्लिम सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक तौर पर पिछड़ गये हैं. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करती है. इसका संबंध सिर्फ इस सवाल से नहीं है कि हमारे देश के बहु-विश्वासी तथा विविधता वाले समाज में सांप्रदायिक प्रवृत्तियां कैसे अपनी जड़ें विकसित करती हैं? बल्कि यह एक धर्मनिरपेक्ष, बहुरंगी, समाजवादी और संप्रभु भारत के विचारों की रक्षा और संरक्षण के सामाजिक प्रयासों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने और इसकी जरूरत पर भी बल देता है.

भारत की अधिकांश गरीब जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम तथा महिलाओं की आबादी से ताल्लुक रखती है. स्पष्ट है कि गरीबी का संबंध एक खास जाति-वर्ग-लिंग से है और इन्हें गरीबी पर होने वाली प्रमुख बहसों के केंद्र में लाया जाना जरूरी है. विकलांग लोगों के साथ कई स्तरों और कई तरीकों से होने वाला भेदभाव तथा समाज के गैर जिम्मेदार रवैये के चलते, उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिल पाते. एक्शनएड गरीबी और इस तरह के सामाजिक भेदभाव के शिकार लोगों को अपने विमर्शों और कार्यों के केंद्र मे रखेगा.

भारत में उभरती सामाजिक तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रति हमारी गंभीर चिंताओं के बावजूद, जिस तरह से लोगों को यहां के लोकतंत्र में बहस करने, याचिका दायर करने, विरोध करने, सहयोग करने, इकट्ठा होने, संलग्न होने, प्रतिकार करने, मांग करने और सामाजिक परिवर्तन को हासिल करने तथा उस पर काबू पाने का मौका मिला है, उस पर हमें गर्व है. देश के कई वर्गों, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों को इस तरह के ढेरों मौके मिले हैं. यह प्रगतिशील परिवर्तन की एक गौर करने लायक प्रवृत्ति है, जो कि अधिकारों और लोकतंत्र के विस्तार के नए रास्ते खोलती है. विपरीत परिस्थितियों में भी अवसरों को तलाश लेने की लोगों की इसी क्षमता में एक्शनएड की शक्ति नीहित है. विकास, नागरिकों की समानता तथा अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को दोबारा परिभाषित करने की उनकी क्षमता को निखारने और महज जीवित रहने के बजाय जिंदगी को सम्मान के साथ जीने की नई रणनीतियों को अपनाने में हम उनके साथ खड़े हैं. भोजन के अधिकार, सामाजिक बहिष्कार के विरूद्ध पहल, मूलवासी जनजातियों के अधिकारों के लिए पहल, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, एचआईवी के शिकार लोगों तथा विकलांगों के अधिकारों के लिए पहल करने जैसे हमारे तमाम योगदानों को लोगों की परिवर्तन को प्रभावी बनाने की शक्ति ने प्रेरित किया है.

आज भारत में हम लगातार कई प्रगतिशील और उम्मीद जगाने वाली घटनाओं के बारे में सुनते हैं. इसमें पितृसत्ता को चुनौती देने तथा लैंगिक समानता के लिए नारीवादी संघर्ष, आत्मसम्मान के लिए दलितों का संघर्ष, पहचान पाने तथा साझा संसाधनों के उपयोग एवं नियंत्रण का हक हासिल करने के लिए आदिवासियों का आंदोलन भी शामिल है. भारत में कई जनआंदोलन फल-फूल रहे हैं. सामाजिक बदलाव के इस संघर्ष तथा गतिशीलता में हम लोकतांत्रिक क्षेत्रों के विस्तार, गरीबों का समर्थन करने वाले कानूनों को लागू करने तथा लोगों के अधिकारों के लगातार हनन के विरोध की वास्तविक संभावनाएं देखते हैं. एक्शनएड इंडिया लोगों की परिवर्तन की क्षमता तथा उनके संघर्ष की सराहना करता है. लोगों की यही खूबी सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करती है.

सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर लोगों के भीतर मौजूद संघर्ष की ऊर्जा और परिवर्तन की संभावना को विश्व स्तर पर मौजूद असमान शक्ति संबंधों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. पिछले कुछ सालों में भारत सहित पूरी दुनिया में पैदा हुए कई संकटों के संदर्भ में हमने यह पाया है कि सभी महाद्वीपों में लोगों के दृढ़ और सक्रिय विरोध की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है. इसके अलावा 'विकासशील समाजों' में जन-केंद्रित विकल्पों के प्रस्तुतीकरण के तरीकों में भी सुधार हुआ है.

ऐसे में जबकि भारत वैश्विक परिदृश्य में अधिक प्रभावशाली बनने के लिए आतुर है, हम दक्षिण-दक्षिण संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा उत्तर द्वारा निर्धारित होने वाले और उत्तर की सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले जन-विरोधी एजेंडों के विरोध हेतु जनआंदोलनों और हम जैसी संस्थाओं की सकारात्मक योगदान की भूमिका देखते हैं.

हमारे अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस में, जहां दुनिया के गरीबों का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, एक अच्छी विश्व व्यवस्था की बहाली के लिए हम इस क्षेत्र के साझा इतिहास तथा पहचान की ताकत को बल देंगे.

अपने देश की भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर काम करने की बढ़ती आवश्यकता को हम समझते हैं. दक्षिण के कई देश जो कि अपने बीच बड़े गठबंधन बनाने का महत्व समझते हैं, वैश्विक वर्चस्व के खिलाफ जनसंघर्षों की तरह ही स्वेच्छा से एकजुट हो रहे हैं. इस संदर्भ में, लोगों की बढ़ती एकजुटता तथा दक्षिण के देशों एवं पूरे उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच बनते संबंधों के जरिए नए वैश्विक परिदृश्य के निर्माण की संभावना के प्रति एक्शनएड इंडिया पूरी तरह से सजग रहेगा.

हमारा दृष्टिकोण

गरीबी, पितृसत्ता तथा अन्याय से मुक्त एक ऐसी दुनिया की स्थापना, जहां हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो.

हमारा मिशन

गरीबों के साथ मिलकर काम करना तथा गरीबी, पितृसत्ता और अन्याय को खत्म करने के उनके संघर्ष में शरीक होना.

उद्देश्य

वंचितों के द्वारा लोकतान्त्रिक भागीदारी और आधारभूत बदलाव के माध्यम से बराबरी और समानता पर आधारित समाज बनाना जहाँ उन्हें अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके.

हमारे मूल्य

हम अपने मूल्यों को अपने कार्यों तथा व्यवहार में लाते हैं ताकि संगठन की संस्कृति में बदलाव लाने की हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो.

- गरीबों, वंचित महिलाओं, लड़कियों, लड़कों और पुरुषों के गरीबी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष में सहयोग और भागीदारी
- "व्यक्तिगत ही राजनैतिक है" को आधार मानते हुए हम अपने निजी और सार्वजानिक जीवन में बिना विरोधाभास के इसका पालन करते हैं
- अपने फैसलों पर साहस के साथ खड़े रहने का मूल्य हमें जहाँ एक तरफ रचनात्मक और प्रगतिशील बनाता है , वहीँ हार के डर को खत्म कर निडर और सृजनशील बनाता है
- बराबरी, न्याय, और विविधता के मूल्य को केंद्र में रख हम जाति, वर्ग, उम्र, लिंग, रंग, स्थान , धर्म आदि का भेदभाव किये बिना सभी लोगों को बराबर का अवसर देते हैं
- हमारे व्यवहार और आचरण में विनम्रता
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही
- किसी धर्म या राजनैतिक दल से बिना संबद्ध हुए स्वतन्त्र

हमारी पहचान

हम एक संस्था हैं जो वंचितों, जन आंदोलनों, बुद्धिजीवियों, अकादमिक संस्थानों, मीडिया और नागरिक संगठनों के साथ काम करते हैं. हम मानते हैं कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कई स्तरों पर कई तरह के संगठनों और लोगों के साथ काम करना होगा. इसलिए हम समुदाय और सामाजिक संगठनों के साथ गहनता से जुड़े हैं. हम विकल्पों की विविधता को मानते हैं, जो कि एक विश्वसनीय समाधान का आधार है और जिसके चलते एक न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण संभव है. हम राज्य के साथ आलोचनात्मक किन्तु रचनात्मक सम्बन्धों को बढ़ा लोगों को उनके अधिकार दिलाने एवं सामाजिक बदलाव की पहल करते हैं. विभिन्न लोगों और समूहों के साथ हमारे काम के आधार पर हम एक सहयोगी संस्था से लेकर सीधे जमीनी स्तर पर काम करने जैसी कई भूमिकाओं में मौजूद हैं. इसी के चलते हम विश्वसनीय, लोगों के साथ मिलकर काम कर उससे सीखने वाले, आत्म निर्भर और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन माने जाते हैं. हम एक राष्ट्रीय संगठन हैं जो दुनियाभर में चल रहे लोगों के संघर्षों से सीखकर अपने को विस्तार देने में विश्वास रखते हैं.

सामाजिक बदलाव का मूल विचार

हम मानते हैं कि गरीबी, लोगों और समुदायों की पहचान को जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय, और स्थान के आधार पर अलग थलग रखने और अन्याय की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है. साथ ही इस प्रक्रिया को विकास के एजेंडे के नाम पर बनाई जा रही नीतियों से और बल मिलता है.जिसके चलते एक तरफ गैर बराबरी बढती है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक ध्रुवीकरण होता है और परिणामस्वरूप बड़ी संख्या मे लोगों को अपनी जगहों से बेदखल होना पड़ता है. इससे पहले हम मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर काम कर चुके हैं, जो कि लोगों के लगातार संघर्ष के माध्यम से ढांचागत विषमताओं में बदलाव की वकालत करता है. हम जानते हैं कि अधिकारों के लिए दावा मात्र करने से एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी. एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए समानता के वातावरण में वृद्धि तथा विकास के लिए गरीबों को अपने विचारों को आवाज देनी होगी और असल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेकर इन विचारों को लागू करने योग्य नीतियों में रूपांतरित करना पड़ेगा.

हम पितृसत्ता को चुनौती देने और महिलाओं की स्थिति बदलने के प्रयासों को अपनी प्रतिबद्धता का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं. हम पारिस्थितिक न्याय के सवाल को समकालीन बहस के केंद्र में लाने की कोशिश करेंगे और प्रकृति के साथ एक स्थायी संबंध के लिए दबाव डालेंगे. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोग लगातार अपनी परिस्थितियों को नवाचार के माध्यम से जवाब देते हैं, जो कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद और न्याय के द्वारा संचालित विश्व व्यवस्था के लिए विकल्प प्रदान करता है. हम ऐसे लोगों के प्रगतिशील आंदोलनों तथा विकल्प के उनके प्रस्तावों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने का प्रयास करेंगे.

रणनीतिक प्राथमिकताएं

इस समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हम छह महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों पर
अपने प्रयासों को केंद्रित करेंगे

जल , जंगल , जमीन , खनिज और आजीविका जैसे संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- उन क्षेत्रों में और समुदायों में जहाँ हम काम करेंगे , महिलाओं को जमीन- कृषि भूमि, जंगल भूमि और आवासीय भूमि का हक मिलेगा.
- जिन क्षेत्रों में हम काम करेंगे वहां के समुदायों की महिलाओं, खासकर जिनके पास जमीन का स्वामित्व है, उन्हें वास्तविक दैनिक अभ्यास के लिए जलवायु के अनुरूप स्थायी कृषि के बारे में बताया जाएगा. उन्हें भोजन की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी.
- जिन शहरों में हम काम करेंगे वहां के घरेलू श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स तथा शहरी बेघरों हेतु आजीविका तथा आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी.
- आदिवासी, वनों में रहने वाले समुदायों और मछुआरों का आम संसाधनों पर नियंत्रण होगा. इसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष तौर पर स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण की प्रक्रिया को लाभ मिलेगा.
- जिन क्षेत्रों में हम काम करेंगे वहां बढ़ी चेतना, सामूहिक इच्छाशक्ति तथा संगठित अभियान की वजह से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, आदिवासियों तथा दलित समुदायों के बीच भूख से होने वाली मौतों का सिलसिला खत्म होगा.

एक्शनएड जल, जंगल, जमीन , तटों , खनिजों और आजीविका जैसे संसाधनों पर अधिकार के लिए संघर्षरत लोगों के साथ खड़ा होगा. यह देश में प्रगतिशील भूमि सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत शक्तियों के साथ भी जुड़ेगा.

हम प्रगतिशील भूमि सुधार के मुद्दे को नीति निर्माण के केंद्र मे लाने के लिए लोगों के प्रयासों, उनकी एडवोकेसी और इस मुद्दे पर कार्यरत जन संगठनों और उनके अभियानों से जुडेंगे. परिणामस्वरूप नीतियों और सुधारों में सकारात्मक, समयबद्ध और प्रभावी हस्तक्षेप संभव होगा. सामूहिक प्रयासों से इसके चलते देश भर में इस मुद्दे पर नई प्रक्रिया, सक्षम वातावरण और परिणाम आधारित कार्य हो पायेगा. हम जलवायु के अनुरूप स्थायी कृषि के तरीकों के साथ-साथ इससे जुड़े अभियानों तथा नीतियों की वकालत करने वाले समूहों का समर्थन कर खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे. हम मुक्त व्यापार के उन समझौतों के खिलाफ शोध तथा कार्रवाई का समर्थन करेंगे, जो कि भोजन, भूमि तथा कृषि से संबंधित हमारी संप्रभु राष्ट्रीय नीतियों को नुकसान पहुंचाते हैं. हम राज्य के नीतिगत बदलावों का समर्थन करेंगे. हम ग्रामीण औद्योगीकरण की एक मजबूत संस्कृति के निर्माण के प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे.

हम किसानों के राष्ट्रीय नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने में सहयोग देंगे. इससे देश में खाद्य सुरक्षा की वार्ताओं को सही आकार मिलेगा. इससे टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन मिलेगा तथा किसान समुदाय को पर्याप्त बजटीय सहायता मिलेगी. इस प्रकार यह राष्ट्रीय नेटवर्क कृषि से संबंधित नीतियों को प्रभावित करेगा. हम जंगल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में संवैधानिक रूप से सौंपे गए अधिकारों को प्राप्त करने में आदिवासी समुदायों का समर्थन करेंगे.

हम शहरी गरीबों तथा भूमिहीनों को जमीन और आवास का हक देने वाले मौजूदा सक्षम कानूनों को लागू किए जाने और किरायेदारों, बेघरों तथा शहरी बस्तियों के नियमन का समर्थन करेंगे. महिलाओं को भी जमीन का मालिकाना हक दिलवाना हमारी अहम प्राथमिकताओं में से एक होगा. हम देश भर में शहरी गरीबों को भूमि तथा आवास का अधिकार दिलाने के लिए जारी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करेंगे.

हम जरूरी जनसमर्थन जुटाने के लिए पूरे देश के लोगों के प्रासंगिक प्रयासों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे. हम अभिनव प्रयासों का समर्थन करेंगे और प्रगतिशील स्थानीय प्रथाओं को आवाज प्रदान करने के लिए अवसर पैदा करेंगे.

हम भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों, लघु उद्योगों तथा घरेलु कामगारों से संबंधित पूरक कानूनों तथा नीतियों के साथ-साथ उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके संघर्ष का समर्थन जारी रखेंगे. हम ग्रामीण इलाकों में मनरेगा जैसे मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्यवयन में सहयोग करेंगे और लघु उद्योगों तथा आजीविका के विकल्पों के लिए लाभकारी नीतियों एवं कानूनों के अधिनियम का समर्थन करेंगे. अपने आजीविका के अधिकार की सुरक्षा के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा किए गए प्रयासों का हम समर्थन करेंगे.

हम आजीविका एवं आवास के लिए शहर के रिक्त स्थानों का हक मांगने वाले शहरी गरीबों की मांग से उपजे आंदोलनों का भी समर्थन करेंगे. शहरी क्षेत्र के नवीनीकरण की आड़ में शहरी गरीबों के विस्थापन तथा उनकी बस्तियों को उजाड़ने के कार्य और विस्थापितों के अपराधीकरण को हम चुनौती देंगे. शहरी प्रशासन में गरीबों की भागीदारी बढ़ने का सीएसपी अवधि की समाप्ति पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

मूलवासी आदिवासियों, दलित और मछुआरों के अस्तित्व और आजीविका के लिए जरूरी संसाधनों के इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा से संबंधित सामूहिक प्रयासों का हम समर्थन करेंगे. उनकी आजीविका के अधिकार तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के अवसरों को नीति निर्धारण तथा नीतिगत कार्रवाइयों के केंद्र में लाया जाएगा.

हम मजदूरों के परिवर्तनकारी सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण का अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों में उनका साथ देंगे तथा आजीविकाओं, सार्वजनिक सेवाओं तथा लोगों के प्रयासों का निजीकरण किए जाने के खिलाफ जनमत का निर्माण करेंगे. हम गरीब-विरोधी नीतियों की खिलाफत करेंगे. हम समतावादी एवं पर्यावरण के अनुकूल सामाजिक जीवन को बढ़ावा देने वाली आदिवासी समुदाय से संबंधित संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूती प्रदान करेंगे. हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित एवं लक्षित कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करेंगे तथा देश में सामाजिक सुरक्षा पर आधारित अधिकारों की मांग करेंगे.

समाज, अर्थ, और राजनैतिक व्यवस्था का सभी स्तरों पर लोकतांत्रिकरण

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में जहां हम काम कर रहे हैं, पेसा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाएं अपने फैसले खुद लेंगी और इन फैसलों में महिलाओं, समाज के कमजोर तबकों तथा अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा.
- जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, वहां के सभी गांवों–पंचायती राज संस्थाओं–स्थानीय निकायों में सामाजिक अंकेक्षण–सार्वजनिक सुनवाई–सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित तथा गठित की गयी प्रणालियों की निगरानी करना.
- हमारे कार्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से छुआछूत प्रथा नहीं होगी.
- छुआछूत की प्रथा तथा शोषण का विरोध और समावेशी राजनीति को प्रोत्साहित करने के दलितों के संघर्ष का हम सक्रिय समर्थन करेंगे और इसमें उनका डटकर साथ देंगे.

एक्शनएड वंचितों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करेगा. इसके लिए पंचायती राज प्रणाली मे उनकी सशक्त भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनैतिक , आर्थिक एवं सामाजिक लोकतांत्रिकरण के माध्यम से सामाजिक बराबरी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे. संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए भी हम काम करेंगे.

हम वंचित लोगों के सामूहीकरण का समर्थन करेंगे. प्रशासन तथा लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों के प्रति महिलाओं और युवाओं को जागरूक करेंगे. सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे जहां वंचित समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा.

हर वह राज्य जहां हम काम कर रहे हैं, वहां का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं तथा महिलाओं के एक जागरूक दस्ते का निर्माण करेंगे, जिससे कि भागीदारी बढ़ने और निर्णय प्रक्रिया में सुधार होने की वजह से स्थानीय शासन संस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़े. महिलाओं की प्रशासन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बातचीत और कार्रवाई की जाएगी.

सामाजिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से हम एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे, जिस पर कि फिलहाल जाति, वर्ग, पितृसत्ता, धर्म, नस्ल, ज्ञान और संस्कृति का वर्चस्व है. जनसमर्थन और जनअभियानों में हम महिलाओं तथा अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करेंगे. उन सभी गांवों में जहां हम काम करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं जनता के लिए योजनाएं बनाने के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया को अपनाया तथा लागू किया जाएगा. इस प्रकार, हम जहां काम करते हैं, उन सभी गांवों में वास्तव में महिलाओं के खिलाफ छुआछूत रहित तथा हिंसामुक्त वातावरण तैयार होगा. अस्पृश्यता की प्रथा तथा शोषण का विरोध और समावेशी राजनीति को प्रोत्साहित करने के दलितों के संघर्ष का हम सक्रिय समर्थन करेंगे और इसमें उनका डटकर साथ देंगे.

हम पेसा, पंचायती राज संस्थाओं, वार्ड सभाओं और ६ वीं अनुसूची क्षेत्रों जैसी उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का समर्थन करेंगे, जिनका कि उन समुदायों पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक शासन होता है, जिनके के लिए हम काम करते हैं. जिन शहरी क्षेत्रों में हम काम करते हैं वहां पेसा तथा वार्ड सभाओं के अंतर्गत आने वाली ग्रामसभाएं अपने फैसले खुद लेंगी और इन फैसलों में महिलाओं, समाज के कमजोर तबकों तथा अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

सार्वजनिक सेवाओं का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करना और गुणवत्तापूर्ण जनसुविधाएं प्रदान करने में राज्य के संवैधानिक जनादेश को कमजोर बनाने वाली तमाम नीतियों, संस्थाओं तथा विचारधाराओं का विरोध करना. इसके माध्यम से हम भारत में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाले आंदोलनों में योगदान देंगे तथा सरकार को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के लिए संवैधानिक तौर पर जवाबदेह बनाएंगे.

महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की मानव अधिकारों की तरह सुनिश्चितता

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- समुदाय, पितृसत्ता के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करने मे सक्षम होगा और निजी और सार्वजनिक जीवन में इसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाएगा
- हम जिन क्षेत्रों और समुदायों में काम करेंगे वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को खत्म करेंगे
- महिला-समर्थक नीतियों के समर्थन और क्रमिक विकास के साथ-साथ हमारी समस्त संसदीय नीतियों एवं कानूनों में महिला-विरोधी संदर्भों की पहचान करना और उन्हें हटाना. यह आलोचनात्मक नारीवादी विश्लेषण का हिस्सा होगा
- हमने नारीवाद की वंचना-आधारित व्याख्या (सबअल्टर्न फेमिनिज्म) को माना है और उसको अपने विभिन्न कार्यक्रमों में लागू करेंगे

एक्शनएड समाज में महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करने सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं में सहयोग करेगा. साथ ही पितृसत्ता, उन्हें अलग थलग रखने की कोशिशों, ढांचागत हिंसा , और प्रणाली मे समा चुके भेदभाव के खिलाफ संघर्ष मे शामिल हो , संसाधनों (जैसे कि जमीन, प्राकृतिक संसाधनों, मजदूरी और शहरी स्थान) पर उनके सुरक्षित हक की आवाज उठाएगा.

हम एक वंचित समूह की महिला होने के सामाजिक राजनैतिक प्रभावों (जैसे की गिरता लिंग अनुपात, बाल विवाह, सामाजिक बुराइयां जैसे कि दहेज, मानव तस्करी, आनर किलिंग, खाप पंचायत, डायन प्रथा आदि) की आलोचना करते हुए महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और पितृसत्ता को चुनौती देंगे.

हम जिन समूहों के साथ काम करेंगे उनके बीच जाति, लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, और स्थान के चलते होने वाले जुल्मों को पहचानने में मदद करेंगे. हम जिन इलाकों मे काम करेंगे और समाज में, पितृसत्ता के आयामों और रूपों पर निजी और सार्वजनिक स्थानों पर बहस छेड़ेंगे. हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में (काम और मजदूरी, मजदूरी में लिंग आधारित भेदभाव , घर पर बिना पैसे में काम) महिलाओं के स्थान और उनके महत्त्व को उठाने का काम करेंगे.

हम महिलाओं के समूहों को उनका मोल समझने की प्रक्रियाएं जानने में बढ़ावा देंगे ताकि वे समान मजदूरी, मजदूरी के लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा सकें. साथ ही घर पर उनके द्वारा किये जाने वाले को भी सम्मान मिल सके. हम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के स्थान को जानने सम्बन्धी प्रयासों को बढ़ावा देंगे.

हम उन सामूहिक प्रयासों के साथ जुड़ेंगे जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के खात्मे के लिए बने प्रगतिशील कानूनों जैसे घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे. और इन मुद्दों पर शोध कर इन्हें राजनीतिक मंचों पर उठायेंगे.

हम वंचित लोगों में प्रणालीगत और संरचनात्मक हिंसा के संबंध में नारीवादी समझ विकसित करने के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने और उस पर सवाल उठाने के लिए जागरूक करेंगे और वंचित लोगों को महिलाओं से जुड़े नए प्रगतिशील कानूनों को लाने में अपना योगदान देने लायक बनाएंगे.

शोध के आधार पर मिली प्राथमिक जानकारियों के अनुसार, हम महिलाओं के प्रति हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की संस्कृति के निर्माण हेतु तथा नारीवादी कानूनों को उचित तरीके से लागू करवाने के लिए विविध हितधारकों के साथ जुड़ेंगे तथा उनके प्रयासों का समर्थन करेंगे.

यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता, चुनाव की स्वतंत्रता (समय, श्रम, पर्यावरण) और सहयोग की दिशा में प्रयास और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार पर हमारा जोर रहेगा.

हम उस बदलाव के प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे, जिसमें महिलाओं का अपने शरीर तथा यौन आचरण पर पूरा अधिकार होगा, उन्हें किसी भी तरह से धमकाया नहीं जाएगा तथा उन्हें अपना साथी/आजीविका/जगह का चुनाव करने की स्वतंत्रता होगी.

समाज में अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करने हेतु महिलाओं की सामूहिक प्रयासों का भी हम सकारात्मक रूप से समर्थन करेंगे. हम सार्वजनिक तथा निजी, दोनों प्रकार की जीवन शैलियों में महिलाओं की सुरक्षा प्रक्रियाओं को बढ़ावा देंगे, ताकि वे अपनी पंसद का हिंसा मुक्त जीवन जी सकें.

हम वंचितों के नजरिए से नारीवाद से संबंधित बहसों, विश्लेषणों, शोधों, अनुशंसाओं और कार्रवाइयों का गंभीरता से समर्थन करेंगे. नारीवादी आंदोलन के तहत, संबंधित समूहों के सामूहिक कार्यों तथा अनुशंसाओं के माध्यम से वंचितों की पहचान किए जाने का भी हम समर्थन करेंगे, ताकि वंचितों के नारीवाद को जमीनी तौर पर भली-भांति समझा जा सके.

बच्चों को राजनैतिक तौर पर और बराबरी के नागरिक मानना

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- उन क्षेत्रों में जहाँ हम काम करेंगे और उन समुदायों जैसे की आदिवासी , विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, दलितों, और अन्य कमजोर समुदायों जिनके साथ हम कर रहे हैं, के 0 से 18 वर्ष तक उम्र के बच्चों को सही पोषण मिलेगा. इन इलाकों में कोई भी बच्चा भुखमरी का शिकार नहीं बनेगा और बच्चों को पूरा पोषण और सही स्वास्थ्य देखभाल मुहैया होगी.
- हमारे सीधे हस्तक्षेप वाले इलाकों के सभी सरकारी विद्यालय सही से कार्य करेंगे और सभी बच्चों खासकर आदिवासियों, दलितों, मुस्लिम, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और अन्य कमजोर समूहों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण और बिना भेदभाव के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे.

भारत में शासकीय परिदृश्य में होने वाले त्वरित बदलावों ने बच्चों की आवश्यकताओं और उसके अनुसार नियमों, प्रणालियों और कार्यक्रमों में सुधार की जरूरतों पर चुप्पी साध रखी है.

एक्शनएड इंडिया बड़े सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों में अपनी मांगें रखने में वंचित समुदायों के बच्चों की मदद करेगा. हम बच्चों की ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे जो सामाजिक विश्लेषण एवं दूरदर्शिता के लिए उनकी योग्यताओं पर आधारित हैं. अस्तित्व, संरक्षण, विकास एवं भागीदारी के लिए बच्चों के अधिकारों की मांग हेतु बच्चों के समूह, अभियान और नेटवर्क के साथ संलग्न होकर राजनीतिक शिक्षा, आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से हम बच्चों की एजेंसी और नेतृत्व को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करेंगे. बच्चों की सामूहिक संस्थाएं अपनी मागों को स्पष्ट करने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर संलग्न होंगी. वे देश में अन्य बाल अधिकार प्रयासों के साथ नेटवर्क बनाएंगी और एक प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में संगठित होंगी. हमारे कार्य क्षेत्रों में बच्चों के समूह सहभागिता के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए बातचीत करने में सक्षम होंगे. स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय युवा समूह बनाए जाएंगे.

सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं उचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भोजन के साथ-साथ देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण जैसे जमीनी स्तर के प्रयासों का हम समर्थन करेंगे. हम दुनियाभर की प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे और भारत में इसी तरह की प्रणाली की संभावनाओं को तलाशेंगे. हम बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने वाले और शिक्षा के निजीकरण का विरोध करने वाले सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे.

उन मौजूदा प्रचलनों को उल्टा जाएगा, जहां सामाजिक कार्यक्रम नव-उदारवादी सुधारों द्वारा संचालित हो रहे हैं. लिहाजा हम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षा, नीतियों में परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है. हम सभी के लिए एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली की मांग करने वाले वयस्कों और बच्चों के आंदोलनों में योगदान देंगे.

हम मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थाओं और भारत में बाल अधिकारों को पूर्ण रूप से साकार करने में उनके कार्यक्षेत्रों की समीक्षा की मांग का समर्थन करेंगे. इस कार्य के तार्किक विस्तार के रूप में, हम इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नई संस्थाओं की मांग की पैरवी करेंगे.

बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारी संस्थाओं को जिम्मेदार बनाने के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों और वयस्कों के बीच जागरूकता में वृद्धि होगी. हम लिंग चयन, तस्करी और यौन उत्पीड़न से बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे.

एक पूरी तरह बराबर, धर्मनिरपेक्ष, हिंसामुक्त और शांतिपूर्ण समाज और राज्य

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- देश भर में युवा महिलाओं और पुरुषों का प्रशिक्षित शांति कैडर बनाया जायेगा जो साम्प्रदायिक सौहार्द , शांति और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद समाज तथा राज्य में बनाये रखेगा
- प्रगितिशील कानून और नीतियों (उदहारण के लिए सच्चर समिति रपट) को हमारे काम करने वाले इलाकों में पूरी तरह लागू किया जायेगा
- जिन समुदायों में हम काम करेंगे वहाँ धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य की तरह अपनाया जायेगा

एक्शनएड इंडिया को भारत की अनेकता, अनोखी संस्कृति और धार्मिक विविधता पर गर्व है.

हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए, हम सरकार, धर्मनिरेपक्ष समूहों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा प्रभावित समुदायों, मीडिया और विस्तृत नागरिक समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे. इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर, हम सांप्रदायिक राजनीति एवं प्रथाओं के प्रति कहीं भी प्रकट होने वाले जनता के विरोध का समर्थन करेंगे.

समाज में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के लिए हम धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं बहुलता के सिद्धांतों पर आधारित युवाओं के शांति संवर्ग को प्रोत्साहित करेंगे. हम सांप्रदायिक हिंसा एवं अभियानों के शिकार समुदायों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे. हम राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समूहों की विकास की चिंताओं को संबोधित करेंगे. अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हमारा कार्य इस संवेदनशील मुद्दे पर संगठनात्मक ज्ञान में सकारात्मक योगदान देगा और एजेंसियों सहित, अन्य समुदायों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज की उन्नत सहभागिता को बढ़ावा देगा.

लिहाजा धार्मिक घृणा आधारित राजनीति की सामूहिक, आलोचनात्मक समझ द्वारा सांप्रदायिक ताकतों और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रगतिशील समूहों तथा मानवाधिकार संगठनों के साथ हमारा एक सक्रिय नेटवर्क होगा. हम प्रभावित समुदायों और विस्तृत नागरिक समाज के बीच धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, शांति और न्याय की अवधारणा को लगातार और रचनात्मक रूप से बढ़ावा देंगे. धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता नागरिक समाज संवाद का स्थायी और अपरिहार्य हिस्सा बन जाएगी. हम पूरे भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ नेटवर्क बनाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं का एक मंच तैयार करने के लिए समस्त राज्यों में सहयोग एवं एकता का एक माहौल पैदा करेंगे.

हम हर प्रकार की उस धार्मिक कट्टरता को चुनौती देंगे जो महिलाओं के अधिकारों का दमन करती है और प्रगतिविरोधी तथा प्रतिगामी सोच को बढ़ावा देती है. लिहाजा हम उन नीतियों को चुनौती देने के लिए कार्य करेंगे जो भेदभावपूर्ण हैं और भारतीय संविधान में मौजूद बहुलतावाद और विविधता की भावना के विरूद्ध हैं. हम महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रगतिशील रुख रखने वाले सामुदायिक नेताओं और संस्थाओं से जुड़े समूहों के साथ कार्य करेंगे.

हम घृणा आधारित राजनीति और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए राजकीय तंत्र और आधिकारिक संसाधनों के अनुचित एवं अवैध प्रयोग की समालोचना करने, उस पर सवाल खड़ा करने और इसे बेनकाब करने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे. धर्मनिरपेक्ष पहल के संबंध में, हम रचनात्मक तथा सामूहिक एकजुटता सहित बार-बार और लगातार उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे, जो हमारे राष्ट्र की विविधता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं. समाज में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं के विकास में मदद हेतु हम सरकारी संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से परस्पर बातचीत करेंगे. जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, तो वहां हम सांप्रदायिक राजनीति का सामना करेंगे और उन गैर-संवैधानिक कानूनों का विरोध करेंगे, जो व्यक्तियों एवं समुदायों के धर्म तथा आस्था से जुड़े अधिकारों को कम करते हैं.

स्थानीय और राष्ट्रीय सीमाओं से परे संघर्ष एवं प्रगतिशील कार्यों का समर्थन

प्रमुख वादे

हम इस नीतिगत उद्देश्य के अंतर्गत इस रणनीतिक अवधि में जिन प्रमुख वादों को पूरा करेंगे, वे निम्नलिखित हैं

- दक्षिण-दक्षिण और दक्षिण-उत्तर जन-जन के मंच का गठन.
- संसाधनों (जल, साझा पारिस्थितिकी-तंत्र) के मुद्दों पर नीतिगत बातचीत की शुरुआत करना.
- बहुपक्षीय मंचों जैसे जी-20, सार्क, आसियान जैसे अन्य मंचों पर जमीनी स्तर के कार्यों से मिली सीख के आधार पर प्रगतिशील नीतिगत एडवोकेसी के प्रयासों को बढ़ावा देना

दक्षिण के देशों के बीच संप्रभता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है.

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य के तौर पर भारत ने ना केवल एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि मौजूदा प्रभावशाली देशों के अनावश्यक दबाव का मुकाबला करने के लिए भी दक्षिणी देशों को एक साथ लाने की दिशा में समस्त महाद्वीपों में होने वाली प्रक्रियाओं का समर्थन किया है. सरहद पार के नागरिक समाज और जन-आंदोलनों के बीच पारस्परिक नजदीकी संबंधों को बढ़ावा देने और प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपालन के लिए सक्षम माहौल के निर्माण में गरीब तथा पिछड़े लोगों के संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक्शनएड भारत की इस विरासत का विस्तार करने की कोशिश करेगा.

एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने और सरकारों की जन-विरोधी नीतियों का सामना करने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं के पार वंचित लोगों की एकजुटता को बढ़ावा देना. मौजूदा सीमा-पार के उन प्रयासों को जोड़ना, जो एक-दूसरे के हित में क्षेत्रीय स्थिरता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर कार्य करने वाले दक्षिण-दक्षिण देशों के नागरिक समाज के सदस्यों को बढ़ावा देते हैं. प्रगतिशील समूहों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण में सहभागिता और ऐसी सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय एवं सांस्कृतिक पहल को पुनर्जीवित करना जो अमीर देशों के वर्चस्व को, ज्यादातर उत्तर में, चुनौती दे रही हैं. मानवता की भलाई के लिए ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा विविधताओं की अभिव्यक्ति का गुणगान करना.

संसाधनों (जीवाश्म, ऊर्जा, ईंधन) पर अधिपत्य को चुनौती देना और ऐसी प्रक्रियाओं का समर्थन करना, जो पारिस्थितिकी और बड़े पैमाने पर विस्थापन के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण के वंचित लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने का मार्ग दर्शाती हैं. प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के स्वायत्त नियंत्रण के मुद्दों और शर्तों को संबद्ध करने में सक्षम कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों और विद्वानों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की मौजूदगी दक्षिणी देशों और चिरस्थायी पारिस्थितिकी के लाभों को बढ़ाएगी.

सामुदायिक संगठनों, मीडिया, राज्य और गैर राज्य , सामाजिक आन्दोलनों और बहुत से अन्य संगठनों के साथ हमारे सम्बन्धों को हमारी कार्य पद्धति परिभाषित करेगी. हमारा नागरिक समाज प्रगतिशील व्यक्तियों, समूहों , संगठनों , संस्थाओं और सबसे महत्वपूर्ण , जन आन्दोलनों के विविध रंगों से भरा पड़ा है. ये समूह अपने लगातार सामाजिक क्रियाकलापों और साहस के दमखम पर आशा की एक किरण हमेशा जगाए रखते हैं.

1. समुदाय आधारित संरचनाओं, सामाजिक आन्दोलनों और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ भागीदारी

इस भागीदारी के दौरान हम विभिन्न प्रयासों और गतिविधियों का सहयोग करेंगें.

- वंचितों और सबसे गरीब लोगों की गरीबी खत्म करने सम्बन्धी जरूरतों को आर्थिक रूप व अन्य तरीकों व पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाकर. उनके मुद्दों पर कार्यरत समूहों का सहयोग कर
- नीतिगत परिवर्तनों और सुधारों के लिए सामूहिक जानकारी एकत्र कर
- विभिन्न स्तरों पर अभियान और एडवोकेसी के प्रयासों का सहयोग कर
- समूहों और नेटवर्कों को बढ़ावा देकर, वंचितों के संघर्ष को मजबूत करने के लिए कार्यरत समूहों को साथ लाने और उनमें एकरूपता स्थापित कर

2. कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए हम फैलोशिप के माध्यम से उनका सहयोग करेंगे

इस दौरान नेतृत्त्व विकास और बदलाव के सक्रिय सूत्रधार बनाने पर हमारा जोर रहेगा. फैलो वंचितों समुदायों से जुड़ा कोई व्यक्ति या सामाजिक न्याय के लिए कार्यरत जन संघर्ष में विश्वास रखने वाले संगठन, संस्थान भी हो सकते हैं. सामाजिक आंदोलनों, संघर्ष समूहों, और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर हम नेतृत्त्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कैडर निर्माण प्रक्रिया शुरू करेंगे.

3. राज्य के साथ रणनीतिक साझेदारी

राज्य के साथ हमारी साझेदारी द्वि-आयामी होगी. हम वंचितों के विस्तृत समूहों के साथ काम करते हुए राज्य को उनके अनुसार नीतियां बनाने के बातचीत करेंगे. इसके अलावा, हम राज्य के साथ काम करते हुए सामूहिक प्रयासों से सरकार को विकल्प एवं नीतियां बनाने मे भी साथ देंगे. इसलिए राज्य के साथ हमारी साझेदारी 'सहयोग जहाँ संभव है, विरोध जहाँ जरुरी है' के सिद्धांत पर आधारित होगी.

4. राजनैतिक दल व ट्रेड यूनियन

हम अपने मिशन और विजन को ध्यान मे रखते हुए राजनैतिक दलों, उनकी ट्रेड यूनियनों, साथ ही गैर राजनैतिक ट्रेड यूनियनों के साथ सकारात्मक, खुली एवं आलोचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देंगे ताकि वंचितों के एजेण्डे को आगे रखा जा सके.

5. युवा एवं युवा संगठनों के साथ साझेदारी

अपनी स्वतन्त्र सोच और सकरात्मक प्रयासों के चलते युवा बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. हम सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में युवाओं की इसी ताकत को बढ़ावा देंगे. हम छात्र संगठनों और युवा क्लबों को साथ जोड़ते हुए विभिन्न महतवपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय बनाने में उनका साथ देंगे. हम उन्हें अपने साथ वोलंटियर के रूप मे जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे.

6. मीडिया एवं संचार

हम जानते हैं की मीडिया विविध रूपों में हमारे बीच है. इसलिए हम उसके साथ एक खुली और बहु आयामी साझेदारी करेंगे. हम मीडिया जनों के साथ रणनीतिक सम्बन्ध बनाने की पहल करेंगे. यह साझेदारी प्रेस क्लबों, जर्नलिस्ट फोरम और अन्य मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ने के अलावा पत्रकारों और संपादकों के साथ भी होगी. पत्रकारों के लिए मीडिया फेलोशिप उन्हें हाशिए की वास्तविकताओं और एक वैकल्पिक संवाद के अस्तित्व हेतु संवेदनशील बनाएगी.

7. ज्ञान आधारित साझेदारी का निर्माण

हम बुद्धिजीवियों कार्यकर्ताओं के एक मिले जुले संगठन के रूप मे अपने को विकसित करना चाहते हैं. हम विकेन्द्रित होने के साथ साथ नॉलेज हब्स के माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे. हम स्वयंसेवी समूहों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, और शोध संस्थानों के साथ मिलकर सामाजिक मुद्दों पर आलोचनात्मक कार्यवाही के लिए नॉलेज फोरम बनाने पर जोर देंगे. ये नॉलेज फोरम सामाजिक आन्दोलनों और संघर्षों को शोध, दस्तावेजीकरण, नियमित नीति परक जानकारियों और अभियानों को डिजाइन और क्रियान्वित करने में मदद करेंगे.

8. वैश्विक दक्षिण-दक्षिण, उत्तर-दक्षिण साझेदारियां

वंचितों के बहुत से मुद्दे देशों से बाहर तक फैले हैं, इसलिए उन्होंने देश की भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर देखने की जरुरत है. इसके लिए हम देश के बाहर भी लोगों के बीच आपसी बातचीत, दक्षिण के विभिन्न देशों के साथ सम्बन्ध निर्माण, और उत्तर के बहुत से आन्दोलनों के साथ जुडेंगे ताकि सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह बनाया जा सके. वैश्विक स्तर पर हम लोगों के मुद्दों को केंद्र मे लाने के प्रयास करेंगे.

9. प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय पहल

जमीन की प्राकृतिक और मानव आपदाओं से प्रभावित होने की जितनी सम्भावना अब है उतनी पहले कभी नहीं थी. भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा संभावित देशों मे से एक है. मौजूदा आर्थिक विकास का मॉडल, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकीय

प्रभावों की बहुत कम जगह है, उसमें लोगों के ऐसी आपदाओं के शिकार बनने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं. साथ ही मानव निर्मित आपदाओं की सम्भावना हमेशा बनी रहती है.

एक्शनएड सबसे दूरवर्ती क्षेत्रों और सबसे अधिक वंचित समुदायों के साथ काम करेगा जो अक्सर राहत कार्यक्रमों में पीछे छूट जाते हैं. इन मानवीय कार्यों के केंद्र में महिलायें होंगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्णयों और नियोजन प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और वे प्रभावित समुदायों को निर्देशित करने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्त्व करें. हमारी मानवीय पहल अधिकार आधारित कार्यों में लोगों की गरिमा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करेगी. सारी मानवीय पहल की प्रक्रिया इस तरह बनाई जायेगी जिससे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो, विकास का मौका मिले, लैंगिक न्याय और सामाजिक बदलाव सुनिश्चित हो.

रणनीति को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से, हम अपनी आंतरिक संगठनात्मक प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे जो इस रणनीतिक अवधि के दौरान निम्न मार्गदर्शक सिद्धांत एवं प्रक्रिया पर आधारित हैं.

- हम निर्णय लेने हेतु सहयोग एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर आधारित हमारी संगठनात्मक प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं पद्धतियों का नवीनीकरण, पोषण तथा सुदृढ़ीकरण करेंगे. इसे एकरूपता लाने, मिलकर काम करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में लक्षित किया जायेगा.
- सभी स्तरों पर हमारे ज्ञान के आधार और जवाबदेही के निर्माण के लिए हम अपने कार्यों और विचारों को संस्थागत करेंगे.
- हम अपनी नारीवादी सोच को मजबूत करेंगे साथ ही सांगठनिक संस्कृति और टीम की विविधता का सम्मान करेंगे.
- नई चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हम अपनी टीम क्षमताओं में वृद्धि करेंगे और टीम के ज्ञान एवं कौशल को उन्नत बनाएंगे.
- अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से, हम एक सरल एवं समर्थ संगठनात्मक संरचना का विकास करेंगे. अपने मौजूदा सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने और अधिकतम जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका की पुनर्समीक्षा करेंगे.

विभिन्न इकाइयों के बीच तालमेल स्थापित करना

हम नीति, अभियान, संचार, निधि संचयन के माध्यम से तालमेल स्थापित करने की पहल करेंगे. यह हमें अन्य सामाजिक संगठनों, जन आन्दोलनों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा. इसलिए हम अपनी मौजूदा क्षमताओं, नई भूमिकाओं के लिए योग्यता हासिल करने, और भूमिका को परिवर्तित करने में सहायता करेगा. हम अपने चल रहे कामों के एकत्रीकरण और नये कामों के बीच तारतम्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे. यह हमें लोगों को केंद्र मे रखकर और सतत विकल्प उपलब्ध करवाने की दिशा में मदद करेगा.

कार्यक्रमों, नीतियों और अभियानों के प्रभाव, गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाना

हमारे कार्यक्रम के कार्य की गुणवत्ता को मजबूत बनाना, इस रणनीतिक अवधि के दौरान एक मुख्य संगठनात्मक प्राथमिकता होगी.

1. सीखना, हमारे कार्य का एक अभिन्न हिस्सा होगा. विचार विमर्श और फिर उसके अनुसार काम के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करेंगे. कार्यक्रम-नीति, विचार-विमर्शों में हमारा योगदान वंचित समुदायों और उनके संघर्षों के साथ हमारे गहरे काम के आधार पर होगा. हमारे कार्यों में ज्ञानार्जन और नवपरिवर्तन लाने हेतु हमें सक्षम बनाने के उद्देश्य से, हम स्थानीय से वैश्विक व इसके विपरीत क्रम में, ज्ञान संचारित करने के लिए एक प्रणाली एवं संरचना का निर्माण करेंगे.
2. हमारा नियोजन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली हमारे परिवर्तन के विश्लेषण के साथ संरेखित होगी. यह प्रक्रिया उन्मुख होगा और महज परिणाम देने से कहीं बढ़कर होगा, लिहाजा, हमारे रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे तौर-तरीकों में लगातार सुधार लाएगा. सफलताओं का जश्न मनाकर और असफलताओं से सबक लेकर प्रभावी विश्लेषण और आत्मविश्वास का निर्माण करने में हमें मदद मिलेगी.
3. हम अपनी प्रगति और उन्नति को वंचित एवं हाशिए पर पहुंचे उन समुदायों की नजर से आंकेंगे, जिनके पक्ष में हम खड़े हैं. हमारे ध्येय की उन्नति दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, महिलाओं, विकलांगता व एचआईवी एड्स के साथ जीवनयापन करने वाले लोगों, मत्स्य पालकों तथा तटीय समुदायों, शहरी निराश्रयों आदि जैसे सामाजिक समूहों के सामर्थ्य, स्थिति, दशा और जीवन में प्रगतिशील एवं सकारात्मक परिवर्तनों द्वारा आंकी जाएगी.
4. परिवर्तन की कहानियों के प्रलेखन तथा संप्रेषण की अधिक आवश्यकता होगी, जिसके लिए हमें सरल एवं रचनात्मक लेखन के कौशल को विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी. रिपोर्ट को औपचारिक बनाने के बजाए रोचक बनाने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर अपनी रिपोर्टिंग प्रणाली को सरलीकृत करेंगे. हम संचार, कार्यक्रम और नीति के बीच तालमेल स्थापित करेंगे.

क्षमता वृद्धि

एक सीखने वाले संगठन के रूप में और अपने विकास को बढ़ाने के क्रम में, टीम के सदस्यों और भागीदारों का लगातार क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण होगा. यह कौशल और ज्ञान की आवश्यकताओं में अंतराल के सतत मूल्यांकन द्वारा संचालित किया जाएगा. हम वर्तमान कर्मचारी प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण प्रणाली पर पुनर्दृष्टि डालेंगे और व्यक्तियों एवं समूहों के लिए ज्ञान एवं विशेष रूचियों के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर क्षमता निर्माण के नवीन तरीकों हेतु अवसरों का सृजन करेंगे.

यह पूर्व व्यक्त किए गए मूल्यों के समावेशन पर आधारित एक संगठनात्मक संस्कृति की मांग करता है. यह एक साझा दृष्टि, ध्येय, और मूल्यों की प्रबल चेतना के निर्माण में योगदान देगा, जो हमारी राजनीतिक रणनीति को परिवर्तन का अनुभव करवाने के लिए आवश्यक कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार द्वारा समर्थित होगा.

नारीवादी विचारों को बढ़ावा

हमारे कार्य के केंद्र में महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के चलते संगठन के भीतर हम जागरूकता के साथ नारीवादी विचारों और प्रक्रियाओं को बढ़ाना देने पर जोर देंगे. यह कार्यक्रम संबंधी उपायों तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक व्यक्ति और एक संगठन के तौर पर हम पर समान रूप से लागू होता है. इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नारीवादी विचारधारा, आर्थिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक चेतना के लिए नारीवादी सोच के महत्व में अपनी गहरी आस्था के साथ, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर लागू होती है. अतः, यह "व्यक्तिगत ही राजनैतिक है" के सिद्धांत को उचित सिद्ध करती है. हम उन व्यक्तिगत एवं सामूहिक आचरण को बढ़ावा और समर्थन देने का प्रयास करेंगे, जो संगठन में पुरुषों, महिलाओं तथा अन्य लोगों के लिए मायने रखने वाले नारीवादी सिद्धांतों व मूल्यों पर आधारित हों. विनम्रता, आपसी सम्मान, समानता एवं न्याय, पारदर्शिता तथा जवाबदेही, एकजुटता व सामूहिक निर्णय के मूल्यों के अनुरूप विविधता की प्रशंसा करते हुए तथा 'हजारों फूलों को खिलने' हेतु माहौल प्रदान करते हुए, हम ऐसी प्रक्रियाओं का भी समर्थन करेंगे जो सशक्त, केंद्रित एवं प्रेरित टीमों को अंतर्निविष्ट करती हों. यौन उत्पीड़न को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हमारे संसाधनों के आधार को मजबूत और एकीकृत करना

सामाजिक परिवर्तन की हमारी यात्रा में हमारे वित्तीय संसाधनों की अहमियत को हम समझते हैं. इस रणनीतिक अवधि में, हम शासन-प्रणाली में अधिक से अधिक स्वायत्तता की अनुमति देकर एक आत्मनिर्भर भारतीय संगठन बनने की दिशा में कार्य करेंगे. एक भारतीय संगठन होने की अपनी ही चुनौतियां होती हैं और इसलिए हमारे संसाधनों के आधार का विविधीकरण एवं विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण होगा.

हम जानते हैं कि भारत में अनुदान संचयन परिपक्व हो रहा है. सफलता के मॉडल उपलब्ध हैं. पिछली रणनीति में हमने विभिन्न मॉडलों का परीक्षण किया, जो हमारे लिए सफल रहे और हम इनका आगे और अधिक निर्माण करने और देशभर में हमारी गतिविधियों को फैलाने की उम्मीद कर रहे हैं. हम नागरिकों के साथ प्रगतिशील संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेंगे ताकि उन्हें परिवर्तन हेतु योगदान एवं भागीदारी देने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके. इसके लिए, क्षमताओं एवं सामूहिक स्वामित्व के साथ हम सुगम आंतरिक वातावरण, कुशल प्रणाली और सर्वोत्कृष्ट अनुदान संचयन संरचनाओं का निर्माण करेंगे.

इस रणनीतिक अवधि के अंत तक, हम भारत में स्थानीय निधियों के माध्यम से हमारे कार्य के 35% भाग को पोषित करने की आकांक्षा रखते हैं (संस्थागत भागीदारी आय को छोड़कर). भारतीय नागरिकों, भारतीय न्यासों एवं प्रतिष्ठानों तथा भारत आधारित कार्पोरेट जगत से निधियों को संचयन किया जाएगा. चाइल्ड स्पोंसरशिप मुख्य वित्त पोषण का आधार रहेगी. हम अभियानों एवं अन्य अभिनव तरीकों के माध्यम से नागरिकों को हमारे ध्येय में सहयोग एवं दान देने के लिए प्रेरित करेंगे.

बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने के लिए समर्थकों के साथ ब्रांड जागरूकता और संचार अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. हमारे विविध कार्य की आवश्यकताओं में सहयोग देने के लिए हम चाइल्ड स्पोंसरशिप से आगे बढ़कर, अनुदान संचयन के नए एवं अभिनव साधन, उपकरण, तरीके एवं माध्यमों की खोज भी करेंगे.

हम उच्च गुणवत्तापरक संसाधन के रूप में चाइल्ड स्पोंसरशिप से होने वाली आय पर विचार करते हैं, जो हमें ना केवल विश्वसनीय दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करता है बल्कि इसके साथ ही भौगोलिक दृष्टि से दूर-दराज में स्थित बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करता है. हमारे कार्य में महज लाभार्थियों के तौर पर ही नहीं बल्कि हम बच्चों से कर्ताओं एवं परिवर्तन के कारकों के रूप में जुड़ेंगे. हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि चाइल्ड स्पोंसरशिप तंत्र बच्चों एवं समुदायों को सशक्त बन रहा है तथा हम अपने कार्यक्रम नियोजन व विकास में चाइल्ड स्पोंसरशिप परिचालनों के अधिक एकीकरण को बढ़ावा देंगे. वे समर्थक तथा समुदाय, जिनके साथ हम सामान्य तौर पर कार्य करते हैं और वे (प्रायोजित) बच्चे, जिनके साथ हम विशेष तौर पर कार्य करते हैं, हम इनके प्रति संवर्धित पारदर्शिता तथा जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रक्रियाओं को बढ़ावा देंगे.

नैतिक संसाधन की उत्पत्ति के लिए हम अपने दाता आधार का विस्तार एवं विविधीकरण करेंगे और संस्थागत भागीदारियां जैसे सरकारी दाताओं, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाताओं तथा न्यासों एवं प्रतिष्ठानों (भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों) तक सक्रिय पहुंच बनाएंगे. हमारे मूल्यों तथा ध्येय को ध्यान में रखते हुए दाताओं की पहचान सावधानीपूर्वक की जाएगी. हम सरकारी एजेंसियों (केंद्र एवं राज्य सरकार के विभाग तथा मंत्रालय) के साथ-साथ गैर-सरकारी स्रोतों के साथ भी भागीदारी करेंगे. भागीदारी विकास के प्रयासों को विकेंद्रीकृत किया जाएगा और हमारी टीम की क्षमता का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू होगा.

रणनीतिक अवधि के अंत तक, संस्थागत तथा अन्य भागीदारी निधियों के माध्यम से हमारे कार्य के 15% भाग को पोषित किया जाएगा. उन दाताओं/वित्त पोषण अवसरों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित होगा, जो संसाधनों के उपयोग में लचीलापन लाने की अनुमति तथा हमारी रणनीति में योगदान देते हों. आपात स्थिति एवं मानवीय प्रतिक्रिया के लिए संचित की गई निधि इस लोचदार निधि के अतिरिक्त होगी.

हम दाताओं के साथ अपने संबंधों का विस्तार ना केवल अनुदान संचयन के लिए करेंगे बल्कि दाताओं की रणनीतिक एवं परिचालन नीतियों तथा प्राथमिकता को प्रभावित करने के लिए भी करेंगे. संयुक्त, प्रतियोगी संघ की बोलियों एवं निविदाओं के लिए एक जैसी सोच रखने वाले भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से हम रचनात्मक संसाधन संग्रहण को प्रोत्साहित करेंगे.

निधियों का न्यायिक तरीके से उपयोग

1. हम अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अपने संसाधनों के आवंटन का संरेखण करेंगे तथा संसाधनों के न्यायिक इस्तेमाल हेतु लगातार प्रयास करेंगे. अपने कार्य की गुणवत्ता, लागत प्रभावशीलता तथा प्राप्त प्रभाव के संबंध में हम अपने उपयोग का आकलन भी करेंगे. हम दक्षता एवं गहनता बढ़ाने के लिए व्यापार/लेन-देने लागत को कम करने वाली नवीन प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा लागत विकल्पों को भी बढ़ावा देंगे.

2. स्वयं पर खर्च करते हुए, ईमानदारी एक मुख्य मार्गदर्शक कारक होगा. धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

संगठन के लक्ष्य और मिशन को प्राप्त करने के लिए ढांचे में एकरूपता और तालमेल स्थापित करना

हम समझते हैं कि संगठनात्मक संरचना एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है जो लक्ष्य पूरा करने हेतु ध्येय को सक्षम बनाता है. यह कर्मचारियों को उनकी इच्छाओं एवं प्रतिबद्धताओं के प्रति अभिव्यक्त एवं मुखर बनने तथा उनका स्वामित्व लेने में सक्षम बनाता है. CSP IV ने इस बात पर गौर किया है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए हमें ना केवल प्रशासनिक सह कार्यात्मक संरचना की आवश्यकता है, बल्कि अनुभव, कौशल, उचित दृष्टिकोण एवं व्यवहार, तथा टीम के भीतर ज्ञान आधारित प्रणालियों की भी आवश्यकता है. ध्येय की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए यह अलग-अलग स्थानों पर नियत कार्यों के पुनः संरेखण की मांग करता है. महत्वपूर्ण संसाधनों पर बढ़ते दबाव की स्थिति में लोगों के संघर्ष हेतु अपने सहयोग को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने लोगों को रणनीतिक तौर पर तैनात करने की आवश्यकता पड़ेगी.

हमारे रणनीतिक अनुस्थापन का तात्पर्य देशभर में एक ऐसी संस्कृति के निर्माण से होना चाहिए जो बहिर्मुखी हो और विभिन्न कार्यों, इकाइयों तथा स्तरों पर प्रक्रिया के बीच सहक्रियता कायम करने का प्रयास करती हो. विचारों की धाराओं के बीच सहक्रियता कायम करने के उद्देश्य से बहिष्कृत समुदायों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक आंदोलनों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया को एकजुट कर हमारे क्षेत्रीय कार्यालय नागरिक समाज कार्यवाही के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे. वे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए महज प्रशासनिक केंद्र नहीं होंगे, बल्कि ज्ञान के निर्माण, अनुसंधान के पक्षसमर्थन तथा अभियानों में सक्रिय भागीदार भी होंगे. क्षेत्रीय कार्यालय, लोकल राइट्स प्रोग्राम (LRP) की प्रभावी कार्य पद्धति के लिए जवाबदेह भी होंगे.

ध्येय संबंधित प्राथमिकताओं से जुड़ा कार्य, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने वाले अन्य कर्ताओं के साथ तथा क्षेत्रों के पार अधिक अभिसरण की मांग करेगा. उचित कौशल, रूचि, अनुभव तथा ज्ञानवान लोगों को सम्मिलित कर एक्शनएड इंडिया सहित अन्य नागरिक समाज संगठनों के भीतर केंद्र बनाए जाएंगे. देशभर में रणनीतिक तौर पर स्थित, केंद्र, मुद्दे आधारित, प्रक्रिया उन्मुखी तथा संगठनात्मक संरचना वाले होंगे. वे कार्यक्रम क्रियान्वयन में शामिल महज एक्शनएड की प्रशासकीय संरचना भर नहीं होंगे. वे अनुसंधान पक्षसमर्थन के प्रयासों की ओर ले जाने वाले मुद्दों से जुड़े विचार उत्पन्न करेंगे, साथ ही वे अभियानों का आयोजन, कार्यों का समन्वयन तथा देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यों के बीच समन्वय कायम करेंगे.

एक्शनएड इंडिया का राष्ट्रीय कार्यालय, स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तकरू रणनीती/रणनीतिक मुद्दों को बढ़ावा देने, समर्थन देने तथा संरेखित करने में अहम भूमिका निभाएगा. सभी प्रासंगिक हितधारकों (आंतरिक एवं बाह्य) के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य कर, अनुसंधान तथा नवपरिवर्तन, कार्यक्रम-नीति विकास, जन-संचार एवं प्रचार रूपी पहल के माध्यम से हमारे देश की विविधताओं से बल आकर्षित करेगा. यह जवाबदेही तथा ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंध के सुदृढ़ीकरण और क्षमता विकास हेतु रणनीतिक सहयोग प्रदान करेगा. क्षेत्रीय कार्यों तथा बहु-स्थानीय परिचालनों के साथ देश के भीतर अनुदान-संचयन का कार्य राष्ट्रीय कार्यालय के नेतृत्व में किया जाएगा.

कार्यविधियों के सरलीकरण तथा वृद्धि के उद्देश्य से अंतर-कार्यात्मक एवं अंतर-इकाई निर्भरता को समीक्षात्मक तौर पर जांचा, परिभाषित और प्रलेखित किया जाएगा. लाभप्रद संबंधों के माध्यम से लोगों के ऊर्जा प्रदर्शन हेतु संरचनाओं को अधिक सार्थक बनाया जाएगा. सभी स्तरों पर मूल्यों, विचारों तथा व्यवहारों में एकता का बोध करवाने के लिए संगठनात्मक विकास की योजनाएं एवं कार्य गहन चिंतन, रचनात्मकता, प्रेरणा व टीम की प्रभावशीलता की प्रक्रिया को उन्नत बनाएगा.

प्रशासन का मजबूतीकरण

एक्शनएड इंडिया की नई कानूनी इकाई, यानी, एक्शनएड एसोसिएशन- इस अवधि के दौरान, यथासमय, भारत में हमारे कार्यों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करेगा. हमारी मौजूदा प्रशासन संरचना में महासभा, प्रबंध मंडल तथा उप-समितियां सम्मिलित हैं. विविध कौशल तथा विशेषज्ञता के साथ मंडल एवं महासभा के सदस्य हमारी सोच, ध्येय और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए सतत रणनीतिक मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करते रहेंगे. वे एक्शनएड इटरनेशनल के व्यापक महासंघ में भी अहम भूमिका निभाएंगे.

निष्कर्ष

यह रणनीतिक दस्तावेज वंचित तथा हाशिए पर रहने वाले बहुसंख्यक अज्ञात लोगों के प्रतिदिन के संघर्ष में एक न्यायसंगत दुनिया की हमारी सोच और, समान लोगों के बीच एक इकाई के तौर पर, हमारी स्थिति को आगे ले जाने का प्रयास करता है. हम ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक जागरूकता की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है. इस विश्वास और भविष्य के प्रति हमारी विकसित समझ के आधार पर, हम समानता एवं सामाजिक न्याय की बुनियाद पर एक दूसरी दुनिया के निर्माण की दिशा में की जाने वाली यात्रा में सह-यात्री बनने की प्रतिबद्धता को हम पुनः दोहराते हैं.

रणनीतियों के इस समूह का उद्भव जमीनी स्तर पर लगे सामान्य लोगों सहित कार्यकर्ताओं के असंख्य समूहों से विचार-विमर्श की श्रृंखलाओं द्वारा, तथा एक संगठन के तौर पर हमारे अपने अनुभवों से हुआ है. जो चुनौतियां आज हमारे सामने मौजूद हैं, ये समूह उनका समाधान खोजने के लिए है. ताकि हम संवेदना तथा न्याय से भरे बेहतर कल के निर्माण की उम्मीद कर सकें.

आन्ध्र प्रदेश
ई-9, विक्रमपुरी कालोनी
खारखाना, सिकन्दराबाद-500026
फोनः +91-40-27844991
फैक्सः +91-40-40149631

बिहार
(बिहार और झारखण्ड)
317 ए, प्रथम तल, रोड न. 11 ए
पाटलिपुत्र कालोनी, पटना-800013
फोनः +91-612-2267557/58

दिल्ली
(हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ,दिल्ली और जम्मू व कश्मीर)
टी-95/ए, प्रथम तल
सी. एल. हाउस, गौतम नगर
(इंडियन आयल बिल्डिंग के पीछे)
नई दिल्ली-110049
फोनः +91-11-43460000
फैक्सः +91-11-41733028

कर्नाटक
139, रिचमन्ड स्ट्रीट
बंगलौर-560025
फोनः +91-80-43650650
फैक्सः +91-80-25586284

मध्य प्रदेश
ई -3/ 4बी, प्रथम तल
अरेरा कालोनी
भोपाल-462016
फोनः +91-755-4290208, 4218561, 4218562

महाराष्ट्र
गोपाल मेंशन, न. 51-52 ए
टर्नर रोड, बान्द्रा (पश्चिम)
मुम्बई-400022
फोनः +91-22-26451851-1427
फैक्सः +91-22-26455371

पश्चिम बंगाल
19, लेक टेम्पल रोड
कोलकाता-700029
फोनः +91-33-24657017-18
फैक्सः +91-33-24657022

पूर्वोत्तर
(आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड)
फ्लैट 2 बी, मांडवी अपार्टमेंट
रबीन्द्र भवन के सामने, जी.एन.बी. रोड
अम्बारी, गुवाहाटी-781001
फोनः +91-361-2638871-72
फैक्सः +91-361-2638872

ओडिशा
331/ए, शाहिद नगर, भुवनेश्वर-751007
फोन व फैक्सः +91-674-2544503
2544224, 2544279

राजस्थान
(राजस्थान व गुजरात)
डी-143/बी, कौशल्या पथ
दुर्गा मार्ग, बनी पार्क
जयपुर-302012
फोनः +91-141-2209813-14

तमिलनाडु
23, वेस्ट पार्क रोड, शेनॉय नगर
चेन्नई-600030
फोनः +91-44-26191620/21
फैक्सः +91-44-42183619/672

उत्तर प्रदेश
(उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश)
3/545, द्वितीय तल
साईं प्लाजा बिल्डिंग
विवेक खंड, गोमती नगर
लखनऊ-226010
फोनः +91-522-4113494-95&99
फैक्सः +91-522-4021381

उपक्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड आफिस)

गुजरात
36, जय शैफाली सोसायटी
नियर शिवरंजनी क्रास रोड
सैटेलाइट
अहमदाबाद-380015
फोनः +91-79-26730250

जम्मू व काश्मीर
2/ए, राजबाग, हट्रिक लेन
श्रीनगर-190008
जम्मू व काश्मीर
फोनः +91-194-2311968
मोबाईलः +91-9797217478

CONTACT US

ActionAid India
R-7,Hauz Khas Enclave
New Delhi - 110016, India
Tel: +91 11 40640500
actionaid.org/india/hindi

www.facebook.com/actionaidindia
www.twitter.com/actionaidindia
www.youtube.com/actionaidcomms